संख्या– 15/10/94–का–4/2008

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव /सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 03 जुलाई, 2008

विषयः–उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिकों को प्रदान किये गये समयमान वेतनमान के लाभ के संबंध में ।

महोदय,

कतिपय स्रोतों के द्वारा शासन से यह जिज्ञासा की गयी है कि उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों पर कार्यरत जिन कार्मिकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष की सेवा पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान कर दिया गया है, को कार्यालय ज्ञाप संख्या–15/10/94–का–4–2007, दिनांक 21.2.2007 के प्राविधानानुसार उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ लिपिक वेतनमान रूपये–4000–6000 में उच्चीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप पूर्व में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया लाभ वापस ले लिया जायेगा अथवा उसका समायोजन किया जायेगा ।

2. सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :–

(1) उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के वेतनमान रूपये–3050–4590 में कार्यरत रहने की अवधि में जिन कार्मिकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान किया जा चुका है, उनसे यह लाभ वापस नहीं लिया जायेगा ।

(2) कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.2.2007 के प्राविधानानुसार उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित कार्मिक के उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ लिपिक वेतनमान रूपये–4000–6000 के पद पर उच्चीकृत हो जाने के उपरान्त समयमान वेतनमान के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों की गणना उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ लिपिक के पद के संदर्भ में की जायेगी ।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
सचिव

संख्या–15/10/94(1)–का–4/2008, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
4. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग

आज्ञा से,

(एस.एन.प्रसाद)
विशेष सचिव